केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shaheed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली-110016 /New Delhi – 110016.
Tele.011-26858570/26514179(Fax)
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.क्र.11-E-3056(11)/1/2017-Estt-III / 37914-04 दिनांक: 07.05..2018

ज्ञापन

विषय: वर्ष 2016-17 के लिए आशुलिपिक ग्रेड 2 से आशुलिपिक ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नति (रिजर्व पैनल)।

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित **आशुलिपिक ग्रेड 2** को **आशुलिपिक ग्रेड 1** के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप **लेवल 6** में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी गई है। उनको उनके नाम के आगे दर्शाए गए **कॉलम 6** में उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक **17.05.2018** तक पदोन्नति के लिए अपनी बिना-शर्त स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही वे अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining Time) का उपभोग कर **आशुलिपिक ग्रेड 1** के पद पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि वे दिनांक **24.05.2018** तक वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होने में विफल रहते हैं, तो पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही वापस ले लिया माना जाएगा और के.वि.सं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या 6-6/1999/केवीएस(मुख्यालय)/आरपीएस दिनांक 4.9.08 के अनुसार दिनांक **25.05.2018** से उन्हें 1 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठता इत्यादि में भी नीचे हो जायेंगे।

वर्ष 2016-17 का रिजर्व पैनल – (अनारक्षित श्रेणी)

क्र.	वरीष्ठता क्र. 31.3.2013 के अनुसार	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	वर्तनाम के.वि./ सं.का./मुख्यालय	आबंटित के.वि./ सं.का./मुख्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10	सुश्री गुंजन भारती	1.2.89	क्षे.का. मुंबई	क्षे.का.जबलपुर
2	11	श्रीमती अर्चना	25.3.84	के.वि.सं.(मु.)	के.वि.सं.(मु.)

2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कोटा के अधीन पदोन्नति, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हाल के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अधीन है अर्थात् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के उनके समर्थन में जैसा भी मामला हो।

3. कर्मचारी को विकल्प दिया जाएगा कि वह पदोन्नति की तिथि या निचली पोस्ट में वेतन वृद्धि की तिथि से, यानी, 1 जुलाई को अपना वेतन निर्धारण करवा सकते हैं। परंतु यह विकल्प एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।

4. कर्मचारी की बीमारी / प्रसूति के कारणों को छोड़कर कोई भी विस्तार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन / जिला अस्पताल या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग / परियोजनाओं के अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से जो स्कूल संलग्न है / एक सैन्य या कमान अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा अनुरोध हो तो विस्तार के लिए केवीएस (मुख्यालय) को दिनांक 24.05.2018 तक उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर पदस्थापन की जगह या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में विस्तार के लिए अनुरोध पर (उपरोक्त पैरा 4 के तहत आने वाले मामले के अलावा) किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(सरदार सिंह चौहान) 7/5/18
सहायक आयुक्त (स्थापना)

वितरणः

1. संबंधित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि उन्हें दिनांक **17.05.2018** तक अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित करें। यदि उन्हें पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार हो तो दिनांक **24.05.2018** तक या उससे पहले कार्यमुक्त हो। यदि वह इस तिथि तक कार्यमुक्त नहीं हो पाता तो उन्हें दिनांक **24.05.2018** को कार्यमुक्त माना जाएगा।
2. संबंधित उपायुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वे दिनांक **17.05.2018** तक अपनी सहमति संबंधित उपायुक्त के माध्यम से के.वि.सं. (मु.) को भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति बिना किसी शर्त के असहमत रहते है तो यह मान लिया जाएगा कि वे अपनी पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते और इस संबंध में उन्हें बिना किसी पत्राचार के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा और यदि उन्होंने पदोन्नित के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें **24.05.2018** तक हर हालत में कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे नियुक्ति के नए स्थान पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण कर सकें।
3. उपायुक्त केवीएस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे पदोन्नति पर पदस्थ कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें।
4. वित्त अधिकारी, के.वि.सं., संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय।
5. अनुभाग अधिकारी, (भर्ती एवं पदोन्नति अनुभाग), के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली।
6. ईडीपी प्रकोष्ठ, के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।